बिहार सरकार
शिक्षा विभाग

पटना, दिनांक............/2018

अधिसूचना

संख्या 15/ एम 1–71/2016 ..../ बिहार अधिनियम 1, 2017 दिनांक 06.01.2017 द्वारा तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय, भागलपुर को विभाजित कर मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर की स्थापना की गई है। इस अधिनियम की धारा–1(2) के तहत इस अधिनियम को प्रवृत्त करने की शक्ति अधिसूचना द्वारा तिथि नियत कर राज्य सरकार को प्रदत्त की गई है। उक्त आलोक में इस अधिनियम को दिनांक 18.03.2018 से प्रवृत्त करने का निर्णय लिया गया है।

2. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (बिहार अधिनियम 01, 2017 द्वारा यथा संशोधित) की धारा 2(ठ) में प्रदत्त शक्ति के तहत दिनांक 18.03.2018 से राज्य में मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर की स्थापना की जाती है। इस विश्वविद्यालय का मुख्यालय मुंगेर में अवस्थित होगा तथा इसकी क्षेत्रीय अधिकारिता संपूर्ण मुंगेर प्रमण्डल (बेगूसराय जिला जो पूर्व से ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के क्षेत्रीय अधिकारिता में है, को छोड़कर) में प्रभावी होगी।

3. दिनांक 18.03.2018 से मुंगेर प्रमण्डल के क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले (बेगूसराय जिले को छोड़कर) सभी डिग्री महाविद्यालयों के अभिलेख, प्रशासनिक एवं अकादमिक कार्यों का नियंत्रण मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर में निहित होगा।

4. मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर के क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले (बेगूसराय जिले को छोड़कर) सभी अंगीभूत डिग्री महाविद्यालयों की आस्तियाँ एवं देयताएँ दिनांक 18.03.2018 से मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के अधिकारिता में घोषित किए जाते हैं।

5. मुंगेर प्रमण्डल, मुंगेर की क्षेत्रीय अधिकारिता में पड़ने वाले (बेगूसराय जिले को छोड़कर) सभी अंगीभूत महाविद्यालयों के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी दिनांक 18.03.2018 से मुंगेर विश्वविद्यालय, मुंगेर के शिक्षक/शिक्षकेत्तर कर्मी माने जाएंगे।

बिहार राज्यपाल के आदेश से
ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/ एम 1–71/2016 पटना, दिनांक /2018

प्रतिलिपि :– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना को बिहार गजट के आगामी अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

ह0/–
(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव

ज्ञापांक 15/ एम 1–71/2016–701 पटना, दिनांक 09/4/2018

प्रतिलिपि :– महामहिम राज्यपाल के प्रधान सचिव/माननीय मुख्यमंत्री, बिहार के प्रधान सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव के विशेष कार्य पदाधिकारी/सचिव, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सभी विभागों के प्रधान सचिव, बिहार/सचिव/विभागाध्यक्ष, बिहार/सभी प्रमंडलीय आयुक्त, बिहार/कुलपति, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/राज्य परियोजना निदेशक, राज्य उच्चतर शिक्षा परिषद्/कुलसचिव, राज्य के सभी विश्वविद्यालय/सभी क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक/सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी/उच्च शिक्षा के अंतर्गत संचालित सभी संस्थानों/अकादमी के अध्यक्ष को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

2. आई0टी0 मैनेजर, शिक्षा विभाग को निदेश दिया जाता है कि इसे विभागीय वेबसाईट पर अविलम्ब अपलोड करें।

9/4/18

(मनोज कुमार)
सरकार के अपर सचिव